UPGZ010068572026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–10, गाजियाबाद।</u>

उपस्थित – कु० रश्मि रानी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. CODE No. UP2728)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1061/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 3121/2026
CNR No. UPGZ010068572026

आशिम पुत्र श्री अशफाक खान निवासी मकान नम्बर एन 374 स्ट्रीट नम्बर 7 सुन्दर नगरी मंडोली दिल्ली।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

मु०अ०सं० 166/2026
धारा 303(2),317(2) बी एन एस
थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद।

<u>दिनांक 23.06.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **आशिम** की ओर से मु०अ०सं० 166/2026 धारा 303(2),317(2) बी एन एस थाना शालीमार गार्डन जिला गाजियाबाद के मामले में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के भाई/पैरोकार सोनू का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 04.05.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वादी वैभव शर्मा पुत्र जितेन्द्र कुमार शर्मा निवासी–C–262 शालीमार गार्डन EXT. II साहिबाबाद गाजियाबाद का रहने वाला हूँ दिनांक 02.05.2026 समय करीब शाम 7.50 बजे पर अपनी मोटर साइकिल नम्बर DL 14 SR 4017 की अपनी दुकान के सामने खड़ी करके लॉक की थी थोड़ी देर पर ही कुछ समान लेकर घर जाने के लिये दुकान से नीचे उतरा तो देखा कि मौके पर मेरी मोटर साइकिल नहीं मिली किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी मोटर साइकिल चोरी कर ली है। अतः उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे उपरोक्त केस में पुलिस द्वारा मिथ्या ढंग से मिथ्या आलिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई कथित अपराध कारित नहीं किया गया है तथा ना ही उसके विरूद्ध कोई कथित अपराध बनता है। आवेदक/अभियुक्त से

कोई बरामदगी नहीं है, जो बरामदगी दिखाई गयी है वह बिल्कुल झूठी है, क्योंकि बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष चक्षुदर्शी साक्षी किसी भी प्रकार का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता झूठी दर्शाई गई है, जबकि आवेदक/अभियुक्त का प्रस्तुत मामले की घटना से कोई वास्ता व ताल्लुक किसी भी प्रकार से नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि आवेदक अभियुक्त का प्रस्तुत मामले से कोई लेना देना किसी भी प्रकार से नहीं है। मुकदमा उपरोक्त करीब 2 दिन की देरी से सोची समझी साजिश के तहत लिखाया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 15.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर भागने एवं गवाहान, सबूत नष्ट करने का कोई अन्देशा नहीं है। वह न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की।

6– न्यायालय ने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को विनम्रतापूर्वक सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का तत्समय सम्यक अवलोकन किया गया।

7– प्रस्तुत प्रकरण चोरी से सम्बन्धित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसकी मोटर साइकिल नम्बर DL 14 SR 4017 चोरी किये जाने का आरोप है। अभियुक्त से जो बरामदगी दर्शित है, उसका कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त अन्य मु०अ०सं० 110/2026 में जिला कारागार में निरुद्ध था, मु०अ०सं० 110/2026 में अभियुक्त की गिरफ्तारी पर उपरोक्त मुकदमें में चोरी हुई मोटर साईकिल भी बरामद हो गयी है। मु०अ०सं० 110/2026 में अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। विवेचना प्रचलित है। उपरोक्त मुकदमें के अलावा अभियुक्त पर एक अन्य मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें उसकी जमानत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 15.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्ति किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **आशिम** का जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 70,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

दिनांक 23.06.2026

(कु० रश्मि रानी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–10,
गाजियाबाद।